भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 30*
22/07/2025 को उत्तरार्थ

विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कानून

***30. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी**
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने का विचार है कि किसानों को कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की ऐसी सब्जियों और फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने की योजना है जो अब तक मौजूदा व्यवस्था में शामिल नहीं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की निर्यातोन्मुखी वाणिज्यिक फसलों की कीमतों को स्थिर करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कानून' के संबंध में दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 30* के भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): सरकार, प्रत्येक वर्ष, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात्, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की विषय-वस्तु में (i) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की व्यवहार्यता पर सुझाव तथा इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, तथा (ii) देश की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, ताकि घरेलू एवं निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के माध्यम से उन्हें अधिक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं तथा अब तक 6 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उप-समितियों की 39 बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं।

(ग): सब्जियों और फलों सहित शीघ्र खराब होने वाली कृषि और बागवानी वस्तुओं के लिए, जो एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती हैं, सरकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) लागू करती है। हस्तक्षेप का उद्देश्य इन जिंसों की चरम आगमन अवधि के दौरान, बम्पर फसल की स्थिति में, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से कम हो जाती हैं तब इन जिंसों के उत्पादकों को संकटग्रस्त बिक्री से बचाना है।

(घ): हर साल सरकार तीन वाणिज्यिक फसलों (जूट, कोपरा और कपास) सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है, जिससे न केवल किसानों को लाभ होता है बल्कि इन फसलों के बाजार मूल्यों को स्थिर करने में भी मदद मिलती है।

*****